

29/08/19

वकील वादीवाण द्वारा वाद विज्ञापित करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, जिस पर पत्रावली तयबंद की गयी। वकील वादीवाण अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विज्ञापित के आधार पर वाद स्वादित्त बनाना चाहते हैं। पत्रावली का अखलोकन, मन्त्र किया जाकर वादीवाण का आ पत्र वापस विज्ञापित कर दिया जाता है। वाद विज्ञापित के आधार पर स्वादित्त किया जाता है। पत्रावली कोसल सुभारं होकर नंबर से कम होकर हाथिल दफ्तर हो।

JK

सहायक कलक्टर
मंभर लोक

Web Copy - Not Official

जशराम
नामने।म
पु.म.पु.
Identified
M. Ghosh